कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन स्थान उरई

पत्रांक– मु0चि0अ0/स0सुप0 वाहन/निविदा नवीनीक0/2019–20/ 1337 दिनांक– 22/06/2019

मेसर्स ओम टूर्स

एफ0एफ0 2 यशपाल मार्केट

संगीता रोड शाहगंज आगरा

विषय– सपोर्टिव सुपरजिवन वाहन निविदा का नवीनीकरण के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयक सपोर्टिव सुपरविजन वाहन के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपकी निविदा स्वीकृत की गयी थी।

आप द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्तीय वर्ष 2018–19 की दरो पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु दिये गये सहमति पत्र एवं भरे गये अनुबंध के कम में आपकी निविदा का वित्तीय वर्ष 2019–20 में वाहन संचालन हेतु नवीनीकरण किया जाता है।

निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक ब्लाक स्तरीय सामु0/प्रा0स्वा0 केन्द्रों पर एक–एक वाहन, मुख्यालय स्तर पर एक वाहन, डी0पी0एम0यू0 में एक वाहन एवं मेन्टल कार्यक्रम हेतु एक वाहन कुल 12 वाहन वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत निविदा की दरों एवं शर्तो पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, जालौन स्थान उरई।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण झाँसी मण्डल झाँसी।
6. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) जालौन।
7. चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0 केन्द्र रामपुरा, माधौगढ, नदीगांव, कदौरा जनपद जालौन।
8. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र डकोर, पिण्डारी, छिरिया, बाबई, कुठौंद जनपद जालौन।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी0पी0एम0यू0 जनपद जालौन।

22/6/19

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

Shashilata verma

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — EU 544478

नवीनीकरण अनुबंध पत्र

यह अनुबंध जिला स्वास्थ्य समिति, जालौन की ओर से सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, मुख्यालय, डी0पी0एम0यू0 एवं मेन्टल कार्यक्रम में सपोर्टिव सुपरवीजन के अन्तर्गत किराये पर लिए जाने वाले वाहन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति जालौन (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स ओम टूर्स एफ0एफ0 2 यशपाल मार्केट संगीता रोड शाहगंज अगरा (द्वितीय पक्ष) के बीच किया जा रहा है। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार है–

1. यह अनुबंध आज दिनांक 22/6/19 से प्रारम्भ होकर दिनांक 31/03/2020 की मध्य रात्रि तक अथवा नई निविदा होने तक के लिए किया जा रहा है।
2. द्वितीय पक्ष ने इस हेतु जमानत धनराशि रू0 178000/– जिला स्वास्थ्य समिति जालौन के पक्ष में जमा की है द्वितीय पक्षकार द्वारा इस अनुबंध की शर्तो को पूरा न करने पर या उल्लंघन करने पर अनुबंध/निविदा निरस्त करने की स्थिति में यह जमानत धनराशि जब्त कर शासन के खाते में जमा कर दी जायेगी।
3. द्वितीय पक्षकार को किसी भी धनराशि पर कार्यालय/शासन द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।
4. आयकर एवं अन्य समस्त कर वैधानिक देयताओं की कटौती नियमानुसार सफल निविदादाता द्वितीय पक्ष के बिल से की जायेगी।
5. द्वितीय पक्षकार को कोई भी भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा।
6. इस अनुबंध के परिपालन में द्वितीय पक्षकार को मतभेद/विवाद होने पर उसके निस्तारण हेतु द्वितीय पक्षकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन को लिखित में सूचित करेंगे।
7. निविदा दिनांक 31/03/2020 तक अथवा वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर सामान शर्तो एवं नियमों पर दोनों पक्षों की सहमति पर अगली निविदा होने तक के लिए मान्य होगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा वाहन आर0टी0ओ0 द्वारा अधिकृत टैक्सी परमिट वाहन ही प्रथम पक्ष को उपलब्ध कराये जायेंगे।

For M/s OM TOURS

9. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के ड्राईवर के पास ट्रान्सपोर्ट ड्राईविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

10. प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से किये गये दर अनुबंध पूर्ण रूप से या कुछ भाग को समाप्त करने का अधिकर रखता है औरदर अनुबंध पर पुनः संशोधित किया जा सकता है।
    क. यदि फर्म/एजेन्सी लिक्वेडेशन हो जाती या बैंककृष्ट हो जाती है।
    ख. एजेन्सी समय पर वाहन उपलब्ध कराने में असफल होती है।

11. द्वितीय पक्ष को वाहन का भुगतान मासिक रूप से किया जायेगा एवं लॉगबुक की सम्बंधित भ्रमण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।

12. प्रथम पक्ष द्वारा किये गये शेडयूल एवं समय का कडाई से पालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा शेडयूल व समय का पालन द्वितीय पक्ष द्वारा न करने पर कियान्वयन देरी से करने पर प्रथम पक्ष निम्न अधिकार रखता है–
    क. समय से वाहन उपलब्ध न होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष एजेन्सी की लागत व जोखिम टैक्सी किराये पर ले ली जायेगी एवं रू0 1000/– प्रतिदिन की दर से बतौर दण्ड के रूप में द्वितीय पक्ष के बिल से कटौती कर ली जायेगी।
    ख. दर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं सिक्योरिटी /जमानत की धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा।

13. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को एक माह का नोटिस देने के उपरान्त किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु किये गये अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा अथवा किये गये अनुबंध में परिर्वतन का अधिकार होगा।

14. द्वितीय पक्ष किसी भी प्रकार के सभी क्लेम्स की क्षतिपूर्ति, मांग, लागत, खर्चे, ईनाम, मुआवजा इत्यादि हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यदि दोनों पक्षों के मध्य कोई विवाद होता है और 30 दिन के अन्दर विवाद सुलझता नहीं हो तो उस स्थिति में दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष आर्बिट्रेशन एवं कन्सोलियेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत दो सप्ताह के अन्दर आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित कर सकता है। विवादित मामलों में न्याय क्षेत्र जालौन तक सीमित रहेगा और सम्बंधित सम्भाग का आयुक्त आर्बिट।

16. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद से वाहन भ्रमण हेतु प्रशासनिक कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपयोग किये जा सकते है।

17. वाहन को माह में 1500 किमी0 न्यूनतम एवं 25 दिन चलाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुपातिक कटौती की जायेगी।1500 किमी0 से अधिक वाहन चलने पर कोई अतिरिक्त भुगतान की मांग वाहन स्वामी द्वारा नहीं की जायेगी।

18. कार्यक्रम के लिए लगभग 25 दिन वाहन कार्य करेगा वाहन को इस कार्य अतिरिक्त अन्य कार्य/प्रशासनिक कार्य के लिण्ए उपयोग किया जा सकता है।

19. द्वतीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक वाहन की लॉगबुक में समय विस्तृत विवरण मायलेज और सम्बंधित अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

20. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के सीट कवर नियमित तौर पर साफ रहना चाहिये और नियमित रूप से परिवर्तित होते रहना चाहिये।

21. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के रीडिंग मीटर नियमित तौर पर कियाशील रहना चाहियें वाहनों की लॉगबुक का सम्बंधित ड्राईवर रख–रखाव करना होगा।

22. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के ड्राईवर और वाहन बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किये जायेगे।

23. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों में सपोर्टिव सुपरवीजन 11 वाहन हेतु रू0 30330/– डी0पी0एम0यू0–1 एवं मेन्टल कार्यक्रम–1 हेतु रू0 29880/– का अनुबंध किया जा रहा है।
24. निविदा अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किराये पर दिये गये वाहनों के दर में कोई बदलाव नहीं होगा।
25. प्रत्येक वाहन की उपलब्ध करायी गयी दर में केन्द्रीय व राज्य जी0एस0टी0 शामिल होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा दिये गये प्रति वाहन की दरों में ईंधन की लागत, ड्राईवर की लागत, वाहन का रख–रखाव और किसी भी प्रकार की अन्य लागत (मैटेरियल, लेबर, कास्ट, परिवहन लागत करों में परिवर्तन) शामिल होगा। उक्त अनुमोदित दरों के अतिरिक्त कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
26- वाहन न्यूनतम 1500 कि0मी0 अधिकतम 2000 कि0मी0 चलाया जायेगा। जिसके लिये निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

21/6/17

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सदस्य, सचिव/जिला स्वास्थ्य समिति, जालौन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उरई

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
Goswami

मेसर्स ओम टूर्स एफ0एफ0 2 यशपाल मार्केट संगीता रोड शाहगंज अगरा

1. साक्षी RAJ pal Singh

हस्ताक्षर राजपाल सिंह

नाम व पूरा पता Raj pal Singh S/O Vishambhar Singh Jalaun (U.P.)

2. साक्षी RAMAKANT SHARMA

हस्ताक्षर रमाकान्त शर्मा

नाम व पूरा पता Ramakant Sharma S/O Ganga Prasad Sharma Suneel Colony Agra (U.P.)

Supportive Supervision Vehicle Hiring - Block wise information 2019-20

S. No.	Name of Dividion	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Jhansi	Jalaun	Kadaura	UP92T 8808	1/4/2019	Attached
2			Pindari	UP92T 5994	1/4/2019	Attached
3			Jalaun	UP92 T 8210	1/4/2019	Attached
4			Rampura	UP92W 7301	1/4/2019	Attached
5			Madhaughad	UP92T 6290	1/4/2019	Attached
6			Dakore	UP92T 8963	1/4/2019	Attached
7			Kuthond	UP92T 8209	1/4/2019	Attached
8			Nadigaon	UP92P 9462	1/4/2019	Attached
9			Babai	UP92T 2334	1/4/2019	Attached

Supportive Supervision Vehicle Hiring - District level information 2019-20

S. No.	Name of	Name of	Vehicle No.1	Date of Hiring	Vehicle No. 2	Date of Hiring	Agreemen
1	Jalaun	CMO	UP92 S 9199	1/4/2019	-	-	Attached

Chief Medical Officer
Jalaun at Orai